न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 15/2021 बउनवानी इन्द्रराज बनाम लो.सू.अधि.एवं मुख्य कार्यकारी अधि.जिला परिषद,स0मा0
पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मीना निवासी–आदलवाडा कलां, तहसील चौथ का बरवाडा

GCMS No-2021/34

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिश्यिल जज
09.04.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। सहायक लोक सूचना एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर की ओर से जिला परिषद का प्रतिनिधि उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 6.1.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः– 1. मनरेगा योजनान्तर्गत जगदीश पुत्र मोज्या पाईप लाईन मेडबन्दी समतलीकरण व भूमि विकास कार्य स्वीकृत वर्ष 2013–14, 2014–15 मे किया गया ग्रा.प. आदलवाडा कलां प.स. चौथ का बरवाडा। 2. मनरेगा योजनान्तर्गत जगदीश पुत्र मोज्या मीना मेडबन्दी कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य स्वीकृत वर्ष 2016–17 ग्राम पंचायत आदलवाडा कलां, तह0 चौथ का बरवाडा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी उपस्थित प्रतिनिधि ने लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर की ओर से अवगत कराया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 6.1.2021 मे चाही गयी सूचना अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक(ईजीएस) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद (ग्राविप्र) सवाईमाधोपुर के पत्रांक ईजीएस/2019–20/178 दिनांक 22.3.2021 से अपीलान्ट को व्यक्तिशः उपलब्ध करवायी जा चुकी है। तथा उपलब्ध करवायी गयी सूचना से अपीलान्ट संतुष्ट है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत जिला परिषद के प्रतिनिधि द्वारा निवेदन किया गया। जिला परिषद के प्रतिनिधि द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 06.01.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र में चाही गयी सूचना मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर ईजीएस/2019–20/178 दिनांक 22.3.2021 अपीलान्ट को व्यक्तिशः उपलब्ध करवायी जा चुकी है। चूंकि चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध हो गयी है ऐसी स्थिति मे अपील खारिज किया जाना उचित समझता हूँ। परिणाम स्वरूप अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील [illegible] आज्ञा सुनायी गयी। (राजेन्द्र किशन) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.21 17:59:10 IST
Reason: SelfAttested